ग्राम पंचायत कुठेडा खैरला, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कुठेडा खैरला, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखाओं का प्रथम अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत कुठेडा खैरला में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती शालिनी	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती राधू रानी	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत कुठेडा खैरला, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	4 (घ)	रोकड़ बही व बैंक खातों में अन्तर	0.79
2)	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष	31.19
3)	7.1 (क)	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	0.45
4)	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करना	0.08
5)	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	12.68
6)	8.2	आपूर्तिकर्ता के बिलों से स्त्रोत पर जी.एस.टी./टी.डी.एस. की कटौती न करना	0.21
7)	9.1	मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	15.97
8)	9.2	तकनीकी मूल्यांकन के बिना मजदूरी का भुगतान	1.33

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत कुठेडा खैरला, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16.05.2024 से 22.05.2024 तक ग्राम पंचायत कुठेडा खैरला के कार्यालय में किया गया | आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	03/2023	03/2023
2023-24	02/2024	06/2023

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।"

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत कुठेडा खैरला, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/- आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 461/2024 दिनांक 22/05/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत कुठेडा खैरला द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित अम्ब के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 315617 दिनांक 27/05/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया।

4 **(क) वित्तीय स्थिति:-**

सचिव, ग्राम पंचायत कुठेडा खैरला द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 440/2024 दिनांक 16/05/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/22 से 03/24 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान चार रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित रोकड़ बही) Offline, 15वां वित्तायोग (Online), स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹) (3+4)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹) (5-6)
1	2022-23	3166097	9055562.62	12221659.62	7123727.62	5097932
2	2023-24	5097932	4725061.23	9822993.23	6704067.23	3118926

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत कुठेडा खैरला के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.2024 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **₹79103.70** था :-

1)	दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	3118926.00
2)	दिनांक 31.03.2024 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**3197797.7**
3)	दिनांक 31.03.2024 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	232.00
4)	**योग (2+3)**	**3198029.70**
5)	**अन्तर (4-1)**	**79103.70**

दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है (परिशिष्ट क-1) :-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Amb (Own & GIA)	20009003480	1265037.80
2	HDFC Amb (15^{th} fc)	50100339391565	1932759.90
		योग	**3197797.7**
		हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	232.00
		योग (1+2)	**3198029.70**

(ग) खाता बहियों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार पंचायत को खाता बहियों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय–व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थी। खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। अतः भविष्य में उक्त नियमानुसार खाता बहियों का रख-रखाव किया जाए तथा वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹0.79 लाख का अन्तर :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.24 को निम्न **विवरणानुसार** शीर्षों की रोकड बहियों एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹79103.70** का अन्तर पाया गया। अतः इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 446/2024 दिनांक 16/05/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPKK/78 दिनांक 22/05/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त अन्तर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से जाँच पड़ताल करने के उपरान्त आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा। अतः अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

क्रम संख्या	**रोकड़ बही का नाम**	**दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही का अन्तशेष (₹)**	**दिनांक 31.03.2024 को बैंक व हस्तगत शेष का योग (₹)**	**अन्तर (₹)**
1	**2**	**3**	**4**	**5(4-3)**
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	1267711	1265269.8	-2441.20
2	15वें वित्तायोग	1851215	1932759.9	81544.90
			योग	**79103.70**

(ङ.) रोकड़ बही का अनुरक्षण न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार फार्म 14 पर रोकड़ बही का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 443/2024 दिनांक 26/05/2024 के प्रत्युतर में अपने पत्र संख्या GPKK/78 दिनांक 22/05/2024 द्वारा प्रस्तुत बैंक खातों की सूची अनुसार निम्न **विवरणानुसार** खाते से सम्बन्धित रोकड़ बही का अनुरक्षण नहीं किया गया था, क्योंकि उक्त खाते में ब्याज के अतिरिक्त कोई भी लेन-देन नहीं हुआ है तथा न ही अंकेक्षण अवधि दौरान रोकड़ बही के आय व व्यय पक्ष में कोई इन्द्राज किया गया था | अतः रोकड़ बही का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख शीघ्र तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को दिखाया जाए। इसके अतिरिक्त निम्न खाते में अनुपयुक्त राशि का नियमानुसार उपयोग किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए :-

क्रम संख्या	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**मद का नाम**	**दिनांक 31.03.2024 को राशि (₹)**
1	KCCB Amb	20009003763	(IAY)	10122.00

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 440/2024 दिनांक 16/05/2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPKK/74 दिनांक 22/05/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया

जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹31.19 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 440/2024 दिनांक 16/05/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में ₹3118926.00 की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अत: ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 440/2024 दिनांक 16/05/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GPKK/74 दिनांक 22/05/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार होगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 440/2024 दिनांक 16/05/2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GPKK/74 दिनांक 22/05/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.45 लाख की वसूली हेतु शेष :-

(**क**) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित है। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 440/2024 दिनांक 16/05/2024 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GPKK/74 दिनांक 22/05/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक पंचायत राजस्व गृहकर **₹44556 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	36350	65400	101750	62000	39750
2023-24	39750	67000	106750	62194	44556

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था | अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए |

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.08 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **(सलंग्न परिशिष्ट ग अनुसार)** वसूली गई राशि **₹8000** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2022-23	4800
2	2023-24	3200
	योग	**8000**

अतः इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 452/2024 दिनांक 20/05/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPKK/78 दिनांक 22/05/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹200 की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान **सलंग्न परिशिष्ट ग में** वर्णित मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों **से ₹200** की कम वसूली की गई थी।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	2022-23	200

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 451/2024 दिनांक 20/05/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPKK/78 दिनांक 22/05/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके, राजकीय कोष के मद 0235-00-800-03 में जमा करवा दी जाएगी। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली शीघ्र अति शीघ्र करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.1 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹12.68 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा **सलंग्न परिशिष्ट घ अनुसार कुल ₹1268397** की सामग्री में से **₹968397** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था तथा **शेष ₹300000** (1268397-968397) की सामग्री का क्रय मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि उक्त क्रय व्यापक प्रचार (Wide publicity) अर्थात् कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर किया जाना अपेक्षित था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 453/2024 दिनांक 20/05/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPKK/78 दिनांक 22/05/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है। अत: उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये। सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

8.2 आपूर्तिकर्ता के बिलों से स्त्रोत पर ₹0.21 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक

29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.- अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 दौरान आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट ड.** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹1043293** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **₹20866** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	योग (₹)	जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि (₹)
1	2022-23	धीमान स्टील वर्क्स अम्ब	स्टील, ग्रिल्स, झाली इत्यादि	251690	251690	5034/- (2% x 251690)
2	2023-24	श्री गणेश स्टील मुबारिकपुर	स्टील एंगल	458293	458293	9166/- (2% x 458293)
3	2023-24	शंकर स्टील गगरेट	सीमेंट शीट	333310	333310	6666/- (2% x 333310)
				योग	**1043293**	**20866**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 459/2024 दिनांक 21/05/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या GPKK/78 दिनांक 22/05/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा । उत्तर संतोषजनक नहीं है । अत: जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो / व्यक्तियों से करने के उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.3 मनरेगा मद के अंतर्गत ₹0.03 लाख का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी के कार्यों के सम्बन्ध में स्वयं लाभार्थी को सामग्री का क्रय करना होगा। इस सम्बन्ध में निदेशक एवं आयुक्त मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग के पत्र संख्या SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 दिनांक 25.05.2022 के अनुसार The amount of material component which is to be reimbursed in the account of individual beneficiaries shall be restricted to the maximum of 40% of the actual total cost of the work by applying the following formula : **Actual unskilled labour cost × 2/3 = Material Cost** परन्तु उक्त नियम की अवहेलना करते हुए निम्न **विवरणानुसार** सामग्री के रूप में **₹3311** का अधिक भुगतान किया गया था | इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 454/2024 दिनांक 21/05/2024 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या GPKK/78 दिनांक 22/05/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिक भुगतान की गई राशि ₹**3311** की वसूली सम्बन्धित से करके मनरेगा खाता संख्या 4193000100031015 में जमा करवा दी जाएगी व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

क्रम संख्या	**निर्माण कार्य का नाम**	**सामग्री की लागत / व्यय योग्य राशि**	**लाभार्थी को व्यय (₹)**	**लाभार्थी को भुगतान योग्य राशि (₹)**	**लाभार्थी को अधिक भुगतान राशि (₹)**
1	C/O RWHT of Satish Kumar	(मस्ट्रोल संख्या 3728, 2328 व 2538)	15884	12573	3311

	S/O Aasra Ram W No. 8	(203+5936+12720= 18859 × 2/3 = 12573)			

8.4 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.03 लाख रॉयल्टी की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा |

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए | परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को **सलंग्न परिशिष्ट "च" अनुसार ₹2731** का अनियमित भुगतान किया गया | इस सम्बन्ध में ज़ारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 458/2024 दिनांक 21/05/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GPKK/78 दिनांक 22/05/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था |

अत: खनन के वैध स्रोत को सुनिश्चित करते हुए मामला जिला के खनन अधिकारी से उठाया जाए तथा तदानुसार **₹2731** के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

9.1 ₹15.97 लाख के व्यय के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 03/2023 व 06/2023 में निम्नानुसार कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों व मस्ट्रोलों के अन्तर्गत **₹1597291** का भुगतान किया गया था | उपरोक्त उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 455/2024 दिनांक 21/05/2024 व अनुस्मारक संख्या 460/2024 दिनांक 22/05/2024 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPKK/78 दिनांक 22/05/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी | नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है | परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	माह	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनांक	सामग्री	राशि (₹)
1	स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/23	C/o Shed in SLWM	21366 (01.02.23 to 28.02.23)	मजदूरी	137110
2	स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/23	C/O Mukhyamantri Lok Bhawan	001097 27.03.23	Cement Bags	145816
3	स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/23	C/o Shed in SLWM	001096 27.03.23	Cement Bags	61972
4	स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	03/23	C/o Shed in SLWM	1208,1213, 1214,1204,1206,1207,1209, dtd. 06.08.23, 08.3.23, 10.03.23,	Ventilator, door etc.	251690

				16.03.23, 18.03.23, 20.03.23, 21.03.23		
5	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	06/23	C/o Shed in SLWM	626 27.05.23	Steel	80388
6	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	06/23	C/o Shed in SLWM	042 24.05.23	Bricks	13234
7	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	06/23	C/o Shed in SLWM	397, GSMR-5340, GSMS-2669, GSMR-5339 Dtd 15.12.22 25.03.23	Steels	558081
9	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	06/23	C/O Shed in Goushala Ruder Sankalp	T1/23-24/1168 16.06.23	Steels	300000
10	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	06/23	C/O Shed in Goushala Ruder Sankalp	T1/23-24/1246 21.06.23	Cemented Sheet	49000
					योग	**1597291**

9.2 तकनीकी मूल्यांकन के बिना ₹1.33 लाख की मजदूरी का भुगतान :-

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं प० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या : एस एम एस -17 /2002 – आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22.09.2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक / कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा कार्य के मूल्यांकन करने के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा। लेकिन व्यय के अवलोकन पर पाया गया कि मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत **निम्नलिखित विवरणानुसार** मस्ट्रोलों के अन्तर्गत भुगतान की गई **₹133309** की मजदूरी की माप पुस्तिका में मूल्यांकन / कार्य प्रगति की प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं थी, जिसका विवरण **निम्नलिखित** प्रकार से है :-

क्रम संख्या	मद का नाम	वाउचर संख्या/ माह	मस्ट्रोल संख्या	अवधि	कार्य का नाम	राशि (₹)	टिप्पणी
1	मनरेगा	शून्य 03/23	3469+ 3470, 3804	16.02.23 से 28.02.23,	Land Dev. Of Solid Waste Management	56816	मस्ट्रोलों में माप पुस्तिव संख्या 8316 का पृ संख्या 19, 22, 28 जा

			+3805, 4212	01.03.23 से 15.03.23, 16.03.23 से 25.03.23	GP Kuthera		अंकित किया गया था, जबकि उक्त पृष्ठ पर किसी और ही काम की रिकॉर्ड प्रविष्टियाँ दर्ज थी व कुछ पृष्ठ खाली छोड़े गये थे।
2	मनरेगा	शून्य 03/23	3468, 3807, 4209	16.02.23 से 28.02.23, 01.03.23 से 15.03.23, 16.03.23 से 25.03.23	C/O Pond In Panchavati Park W.N8	28408	मस्ट्रोलों में माप पुस्तिका संख्या 8316 का पृष्ठ संख्या 20, 24, 26 जाली अंकित किया गया था, जबकि उक्त पृष्ठ खाली छोड़े गये थे।
3	मनरेगा	शून्य 06/23	451, 678	16.05.23 से 31.05.23, 01.06.23 से 15.06.23	Land Dev. Of Solid Waste Management GP Kuthera	21741	मस्ट्रोलों में माप पुस्तिका संख्या 8316 का पृष्ठ संख्या 34, 36 जाली अंकित किया गया था, जबकि उक्त पृष्ठ खाली छोड़े गये थे।
4	मनरेगा	शून्य 06/23	453, 680	16.05.23 से 31.05.23, 01.06.23 से 15.06.23	C/O Pond In Panchavati Park W.N8	26344	मस्ट्रोलों में माप पुस्तिका संख्या 8316 का पृष्ठ संख्या 33, 35 जाली अंकित किया गया था, जबकि उक्त पृष्ठ खाली छोड़े गये थे।
					योग	**133309**	

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 453/2024 दिनांक 20/05/2024 के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत के पत्र संख्या- GPKK/78 दिनांक 22/05/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि माप पुस्तिका में मूल्यांकन करवा दिया जाएगा। अतः माप पुस्तिका में मूल्यांकन के बिना मजदूरी का भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में विकास कार्यों का मूल्यांकन उपरान्त ही मजदूरी का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 441/2024 दिनांक 16/05/2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या GPKK/76 दिनांक 22/05/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 440/2024 दिनांक 16/05/2024 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या GPKK/74 दिनांक 22/05/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का

प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है |

13 **निष्कर्ष:-** लेखाओं में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का०/प्रति

4450-4454

06 SEP 2024

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)103/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत कुठेड़ा खैरला, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

06 SEP 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का०/प्रति

परिशिष्ट "क" पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत कुठेडा खैरला, विकास खण्ड अम्ब व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	3166097	9055562.62	12221659.62	7123727.62	5097932
2	2023-24	5097932	4725061.23	9822993.23	6704067.23	3118926

P. Secretary
G. P. Kuthera Kheria
Block Amb, Distt. Una (H.P.)

20

ग्राम पंचायत कुठेडा खैरला, विकास खण्ड अम्ब व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित)Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1612772	5083244	6696016	3949809	2746207
2	2023-24	2746207	2791956	5538163	4270452	1267711

स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	156493	156493	156493	0
2	2023-24	0	93115	93115	93115	0

15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1553325	1779032	3332357	980632	2351725
2	2023-24	2351725	590697	2942422	1091207	1851215

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	2036793.62	2036793.62	2036793.62	0
2	2023-24	0	1249293.23	1249293.23	1249293.23	0

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	3118926.00
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष	**3197797.7**
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि	232.00
4)	**योग (2+3)**	**3198029.70**
5)	**अन्तर (4-1)**	**79103.70**

P. Secy.
G. P. Kuthera Kheria
Block Amb, Distt. Una (H.P.)

परिशिष्ट क-'1'

दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Amb (Own & GIA)	20009003480	1265037.80
	HDFC Amb (15th fc)	50100339391565	1932759.90
		योग	**3197797.7**
2		**हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)**	232.00
		योग (1+2)	**3198029.70**

Junior Auditor,
H.P. State Audit Department
Shimla-171009
Audit Circle Una

परिशिष्ट 'ख' पैरा संख्या 7 में संदर्भित

ग्राम पंचायत कुठेडा खैरला, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2022-23	36350	65400	101750	62000	39750
2022-23	39750	67000	106750	62194	44556

P. Secretary
G. P. Kuthera Kherla
Block Amb, Distt. Una (H.P.)

परिशिष्ट 'भ'

पैरा संख्या 7.2 व 7.3 में सन्दर्भित

कार्यालय ग्राम पंचायत कुठेड़ा खैरला

विकास खंड अम्ब जिला ऊना हि०प्र०

विवाह पंजीकरण सम्बन्धी सूचना

क्रम स.	नाम	विवाह कि तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशी	वसूल कि गई राशी	वसूली हेतु राशी
1.	श्री सलमान खान पुत्र श्री नजीर एहमद	08/05/2022	21/05/2022	242933	200	200	0
2	श्री रोहित कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार	12/05/2022	28/05/2022	242934	200	200	0
3	श्री मोहन लाल पुत्र श्री बलबीर सिंह	16/05/2022	06/06/2022	242935	200	200	0
4.	श्री जसमेर सिंह पुत्र श्री कुलदीप सिंह	28/05/2022	06/06/2022	242936	200	200	0
5.	श्री ब्रिंदर कुमार पुत्र श्री बलदेव सिंह	16/05/2022	06/06/2022	242937	200	200	0
6.	श्री कुश्विंदर सिंह पुत्र श्री रविंदर सिंह	21/05/2022	06/06/2022	242938	200	200	0
7.	श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री तरसेम लाल	15/05/2022	06/06/2022	242946	200	200	0
8 .	श्री सुमित सिंह पुत्र अशोक कुमार	20/06/2022	12/07/2022	242947	200	200	0
9.	श्री रवि कुमार पुत्र बलबिन्दर सिंह	12/04/2022	20/06/2022	242948	400	200	200
10 .	श्री अमित कुमार पुत्र सुरेंदर कुमार	04/08/2022	20/08/2022	242949	200	200	0
11 .	श्री विकास शर्मा पुत्र तारा चंद	27/09/2022	12/10/2022	242950	200	200	0
12 .	श्री आफ़ताब सेन पुत्र सगळी मुहम्मद	29/09/2022	20/10/2022	242951	200	200	0
13.	श्री मोहम्मद असलम पुत्र श्री कमाल	04/12/2022	17/12/2022	242952	200	200	0

	दीन						
14.	श्री हर्षित तब्याल पुत्र श्री राम चंद	07/12/22	20/12/2022	242953	200	200	0
15.	श्री विक्रम जीत पुत्र श्री नानक चंद	08/12/2022	20/12/2022	242954	200	200	0
16.	श्री सचिन कुमार पुत्र श्री बलवंत सिंह	08/12/2022	22/12/2022	242955	200	200	0
17	श्री रोहित कुमार पुत्र श्री दिल्वाग सिंह	14/12/2022	28/12/2022	242956	200	200	0
18	श्री अंशुल पुत्र श्री दिलदार सिंह	15/01/2023	27/01/2023	242957	200	200	0
19	श्री नवीन कुमार पुत्र श्री जगदेव सिंह	31/01/2023	08/02/2023	242958	200	200	0
20	श्री शिव कुमार पुत्र श्री बलबीर सिंह	30/01/2023	08/02/2023	242959	200	200	0
21	*श्री आकाश सूद पुत्र श्री विजय सिंह*	08/02/2023	14/02/2023	242960	200	200	0
22	श्री ऋषि कुमार पुत्र श्री नीलम सिंह	23/02/2023	01/03/2023	242961	200	200	0
23	श्री विवेक कुमार पुत्र श्री शमशेर सिंह	22/02/2023	13/03/2023	242962	200	200	0
24	श्री राकेश कुमार पुत्र श्री शिव लाल	22/02/2023	13/03/2023	242963	200	200	0
25	श्री संजय खान पुत्र श्री नजीर एहमद	10/05/2023	19/05/2023	242964	200	200	0
26	श्री चन्देल सिंह पुत्र श्री रघुबिंदर सिंह	12/05/2023	20/05/2023	242965	200	200	0
27	श्री मोहित शर्मा पुत्र श्री मुकेश शर्मा	30/05/2023	20/05/2023	242966	200	200	0
28	श्री सुदर्शन सिंह पुत्र श्री ओंकार सिंह	03/05/2023	20/05/2023	242967	200	200	0
29	श्री मोहमद असलम पुत्र श्री रकम दीन	11/06/2023	28/06/2023	242968	200	200	0
30	श्री मुनीश रायजादा पुत्र श्री सुखदेव सिंह	19/10/2023	26/10/2023	242969	200	200	0
31	श्री निखिल शुक्ला पुत्र कमल किशोर	18/10/2023	30/10/2023	242970	200	200	0
32	श्री अकबर हुसैन पुत्र श्री हुसैन मुहम्मद	06/10 2023	06/11/2023	242972	200	200	0
33	श्री अमित कुमार पुत्र श्री शेर सिंह	28/11/2023	11/12/2023	242973	200	200	0
34	श्री अतुल भारद्वाज पुत्र श्री कमल किशोर	18/11/2023	11/12/2023	242974	200	200	0

परिशिष्ट घ पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित

औपचारिकताएं पूर्ण किए विना क्रय करना

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	टिप्पणी
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	81 03/23	560 2/03/23	M/s Ankit Enterprises Amb	Steel, Nails, GI Wires etc	11281	
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	86 03/23	101 20/3/23	M/s Maa Shakti Sweets Amb	चायपान	4760	
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	87 03/23	385 22/3/23	Sanjay Book Store Amb	Stationery	9883	
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	88 03/23	1208 6/3/23	Dhiman Steel Works AMb	Ventilator, Door, Jhali etc.	251690	
5	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	10 06/23	26 01/5/23	Rana Welding Works Kuthera Khairla	Board with Writing	3000	
6	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	14 06/23	626 27/5/23	Shinda Welding Works Basal	Welding & Fixing of Steel	80388	
7	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	15 06/23	042 24/5/23	Shree Ganesh Bricks Kiln Nandpur	Bricks	13234	
8	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	17 06/23	5340 25/3/23	Shree Ganesh Steel Mubarikpur	Angle, TMT Bar, Pipe etc.	542300	
9	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	19 06/23	TI/23-24/1168 16/6/23	Shankar Steel Co. Gagret	Steel Pipes	300000	ग्राम पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि उक्त क्रय व्यापक प्रचार (Wide

							publicity) अर्थात् कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर किया जाना अपेक्षित था।
10	स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)	8 03/23	552 27/2/23	M/s Ankit Enterprises Amb	Steel	13614	
11	स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)	9 03/23	556 01/03/23	M/s Ankit Enterprises Amb	Steel	9368	
12	स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)	10 03/23	70 03/23	Khushi Fly Ash Bricks Dhounta	Bricks	9100	
13	स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)	शून्य 06/23	1230 14/06/23	Dhiman Steel Works Amb	3 No. Doors, fitting	15000	
14	स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)	शून्य 06/23	136 16/5/23	M/s Swastika Enterprises Amb	Electrical Installation charges	4779	
					योग	**1268397**	

Junior Auditor,
H.P. State Audit Department
Shimla-171009
Audit Circle Una

परिशिष्ट ड. पैरा संख्या 8.2 में सन्दर्भित

दिनाकं 01/04/2022 से 31/03/3023 के चयनित माह 03/23 में धीमान स्टील वर्क्स अम्ब को किए गए भुगतान का विवरण

क्रम संख्या	फर्म का नाम	बिल संख्या	दिनाकं	राशि
1	धीमान स्टील वर्क्स अम्ब	1208	06/03/23	48626
2	धीमान स्टील वर्क्स अम्ब	1213	08/03/23	33844
3	धीमान स्टील वर्क्स अम्ब	1214	10/03/23	33844
4	धीमान स्टील वर्क्स अम्ब	1204	16/03/23	33844
5	धीमान स्टील वर्क्स अम्ब	1206	18/03/23	33844
6	धीमान स्टील वर्क्स अम्ब	1207	20/03/23	33844
7	धीमान स्टील वर्क्स अम्ब	1209	21/03/23	33844
			योग	**251690/-**

दिनाकं 01/04/2023 से 31/03/3024 के चयनित माह 06/23 में श्री गणेश स्टील मुबारिकपुर को किए गए भुगतान का विवरण

क्रम संख्या	फर्म का नाम	बिल संख्या	दिनाकं	राशि
1	श्री गणेश स्टील मुबारिकपुर	GSMR-5340	25/03/23	173709
2	श्री गणेश स्टील मुबारिकपुर	GSMS-2669	25/03/23	278821
3	श्री गणेश स्टील मुबारिकपुर	GSMR-5339	25/03/23	5763
4			**योग**	**458293/-**

दिनाकं 01/04/2023 से 31/03/3024 के चयनित माह 06/23 में शंकर स्टील गगरेट को किए गए भुगतान का विवरण

क्रम संख्या	फर्म का नाम	बिल संख्या	दिनाकं	राशि
1	शंकर स्टील गगरेट	TI/23-24/1168	16/06/23	291100
2	शंकर स्टील गगरेट	TI/23-24/1246	21/06/23	42210
			योग	**333310/-**

P. Secretary
G. P. Kuthera Kheria
Block Amb. Distt. Una (H.P.)

परिशिष्ट "च" पैरा संख्या 8.4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत कुठेडा खैरला, विकास खंड अम्ब जिला ऊना

क्रम संख्या	मद का नाम	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा (क्यूबिक मीटर में)	कन्वर्जन फैक्टर	मात्रा (टनों में)	दर (प्रति टन)	देय रॉयलटी
1	स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)	C/O CSC Solid Liquid Waste Management	96	24-03-2023	M/S A.K. Traders	Sand	5.09	1.62	8.2458	80	659.664
						Agg.	3.68	1.52	5.5936	80	447.488
2	स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)	C/O CSC Ruder Sankalp	94	23-03-2023	M/S A.K. Traders	Agg.	2.83	1.52	4.3016	80	344.128
						Sand	5.66	1.62	9.1692	80	733.536
								योग	27.3102	80	2184.816
										25 % पेनल्टी	546.204
										कुल योग	2731.02

P. Secretary
G. P. Kuthera Kherla
Block Amb, Distt. Una (H.P.)